राष्ट्रीय सेवा योजना
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर– 272202 उ0प्र0 (भारत)
Website :www.suksn.edu.in, Email Id: nsssuk2018@gmail.com

पत्रांकः 655 /रा0से0यो0/सि0वि0वि0/2024 दिनांक 12 / 12 /2024

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/कार्यक्रम अधिकारी,
सम्बद्ध राष्ट्रीय सेवा योजना
सहायता प्राप्त अशासकीय, राजकीय, स्ववित्तपोषित महाविद्यालय
जनपद–सिद्धार्थनगर, महराजगंज, संतकबीर नगर, बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर।

विषय– राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रमों की सूचना प्रारूप पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–524/सत्तर–रा0से0यो0को0–2024 दिनांक 07 दिसम्बर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में आवंटित छात्र संख्या के अन्तर्गत आयोजित विशेष शिविर कार्यक्रम दिवसीय–रात्री का समस्त कार्यक्रम संलग्न प्रपत्र मे उल्लिखित दिशा–निर्देश के अनुसार सम्पन्न किया जाना है।

उक्त के सम्बन्ध में सभी को निर्देशित किया जाता है कि विशेष शिविर कार्यक्रम हेतु 15 दिन पूर्व सूचना निर्धारित प्रारूप पर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय के Email Id: nsssuk2018@suksn.edu.in पर उपलब्ध कराते हुए अनुमति प्राप्त कर लें, बिना अनुमति के विशेष शिविर कार्यक्रम किसी भी दशा में मान्य नही होगा।

संलग्नक–यथोक्त।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ
2. वैयक्ति सहायक, कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. वैयक्ति सहायक, वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

कार्यक्रम समन्वयक

<u>अतिमहत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या–524 / सत्तर–रा0से0यो0को0–2024</u>

प्रेषक,

डॉ0 मंजू सिंह,
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– कार्यक्रम समन्वयक,
एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2– उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) मण्डल
एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उत्तत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग   लखनऊः दिनांक 07 दिसम्बर, 2024

विषयः– राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रमों की सूचना प्रारूप पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि **राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में आवंटित छात्र संख्या के अन्तर्गत आयोजित विशेष शिविर कार्यक्रम दिवसीय–रात्री का** समस्त कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं उप शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित माध्यमिक मण्डल, उत्तर प्रदेश द्वारा **शासन के पत्र संख्या–1175 / सत्तर / रा0से0यो0को0–10–09 / 2010 दिनांक 10.12.2010 एवं संलग्न प्रपत्र में उल्लिखित दिशा–निर्देश के अनुसार सम्पन्न किया जाना है।**

2– **राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों द्वारा अनिवार्य कार्य के रूप में आयोजित किये जाने वाले सात दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रम का स्थान निर्धारण करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखा जायेः–**

1. **विशेष शिविरों के आयोजन के लिए स्थान गांव / मलिन बस्ती संस्थानों से न्यूनतम 8 कि.मी. की दूरी पर होना चाहिए।**
2. **प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जा सकती है।**

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि समस्त कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं उप शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित माध्यमिक मण्डल, उत्तर प्रदेश द्वारा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले **समस्त रा.से.यो. इकाइयों को उपरोक्तानुसार विशेष शिविर कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।** उक्त से सम्बन्धित सूचना क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ के ई–मेल- nssrclucknow@gmail.com तथा शासन के ई–मेल- upsno.luck@gmail.com पर प्रेषित करें।

<u>संलग्नक</u>–यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 मंजू सिंह)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या— 524(1)/सत्तर—रा0से0यो0को0—2024,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1— निजी सचिव, प्रमुख सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

2— निजी सचिव, विशेष सचिव को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

3— निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, नई दिल्ली।

4— निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0 प्रयागराज।

5— क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं0—1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर—एच0, अलीगंज, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डॉ0 मंजू सिंह)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

Scanned with OKEN Scanner

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

युवा कार्यक्रम विभाग

राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय (यू.पी.-यू.के.), लखनऊ

सं0- 15-1/रा.से.यो./क्षे.नि./लख/2024-25/2177-2248 **दिनांक: जुलाई 09, 2024**

सेवा में,

समस्त कार्यक्रम समन्वयक,

राष्ट्रीय सेवा योजना

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

विषय : **सात दिवसीय आवासीय विशेष शिविरों के आयोजन हेतु परामर्श संबंधी।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, रा.से.यो. निदेशालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र सं. P.32-1/2024/NSS/DTE/1190-1239 दिनांक 09 जुलाई, 2024 **(संलग्न)** के संदर्भ में समस्त रा.से.यो. इकाइयों द्वारा अनिवार्य कार्य के रूप में आयोजित किये जाने वाले सात दिवसीय आवासीय विशेष शिविर का स्थान निर्धारण करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाए:-

1. विशेष शिविरों के आयोजन के लिए स्थान गांव/मलिन बस्ती संस्थानों से न्यूनतम 8 कि.मी. की दूरी पर होना चाहिए।
2. प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

उक्त संबंध में आपसे अनुरोध है कि आपके क्षेत्रान्तर्गत आने वाली समस्त रा.से.यो. इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(समर दीप सक्सेना)

युवा अधिकारी

संलग्नक: उक्तवत्

प्रतिलिपि:-

1. **निदेशक, भारत सरकार,** रा.से.यो. निदेशालय, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. **राज्य रा.से.यो. अधिकारी,** उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने स्तर से भी निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

Mr. Saufraz Ro NSS

09/07/2024

केन्द्रीय भवन, आठवाँ तल, हाल नं0.1, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024, उत्तर प्रदेश
दूरभाष- 0522 2337066/4079533 ई-मेल-nssrc.lu-up@gov.in/nssrclucknow@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

F.No.P.32-1/2024/NSS/D.II/1190-1239
Government of India
Ministry of Youth Affairs and Sports
Department of Youth Affairs
Directorate of National Service Scheme

Date- 9th July, 2024

To,

1. All State NSS Officers
2. All Regional Directors of
   all Regional Directorates of NSS

Sub: - Advisory for organisation of seven days residential special camps-Reg.

Sir/Madam,

I am directed to inform you that, seven days residential special camps are being organised by all NSS units as a part of mandatory work. In this regard, the following may be kept in view while deciding location of the Camp :

1. Location for organisation of special camps the village/slum should be beyond minimum distance of 8 Kms from the institutions.

2. Locations with natural scenic beauty may be given priority.

2. In this regard all SNOs/Regional Directors are advised to issue the necessary instructions to all NSS units and ensure compliance.

Yours faithfully,

(Dr. Ashok Kumar Shroti)
Deputy Programme Adviser

Scanned with OKEN Scanner

सात दिवसीय विशेष शिविर आयोजन की सूचना प्रेषित करने का प्रपत्र

1. विश्वविद्यालय / माध्यमिक शिक्षा मण्डल / प्राविधिक विश्वविद्यालय का नाम	
2. महाविद्यालय / माध्यमिक विद्यालय / पालीटेक्निक कालेज / विश्वविद्यालय परिसर का नाम	
3. एक दिवसीय शिविरों के आयोजन की तिथि	
4.कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विशेष शिविर आयोजन की तिथि तथा दिवस-रात्रि शिविर आयोजन पूर्वानुमति हेतु प्राचार्य /कार्यक्रम समन्वयक/उप शिक्षा निदेशक को प्रेषित पत्र(संलग्नक)	
5. प्राचार्य/कार्यक्रम समन्वयक/उप शिक्षा निदेशक का नाम, मोबाइल नं० व ई-मेल आई.डी.	
6. कार्यक्रम अधिकारी का नाम	
7. कार्यक्रम अधिकारी का मोबाइल नं०/ई-मेल आई.डी. तथा आधार नंबर	
8. कार्यक्रम अधिकारी-प्रशिक्षित / अप्रशिक्षित	
9. अभिगृहीत ग्राम का नाम	
10. स्वयंसेवकों के रूकने का स्थान व पता	
11. अभिगृहीत ग्राम/मलिन बस्ती के ग्राम प्रधान / सभासद का नाम	
12. ग्राम प्रधान / सभासद से विशेष शिविर आयोजन हेतु सहमति प्राप्त कर ली गई है। (पत्र संलग्नक)	
13. अभिगृहीत ग्राम में एक दिवसीय सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण के आधार पर विशेष शिविर का प्रोजेक्ट	
14. अभिगृहीत ग्राम/मलिन बस्ती तक पहुँचने का साधन व दिशा मार्ग	

हस्ताक्षर कार्यक्रम अधिकारी **हस्ताक्षर प्राचार्य** **हस्ताक्षर कार्यक्रम समन्वयक/ उप शिक्षा निदेशक**

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–1175 / सत्तर–रा0से0यो0को0–10–09 / 2010

प्रेषक,

डा0 सत्येन्द्र बहादुर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कार्यक्रम समन्वयक, रा0से0यो0,
रा0से0यो0 से संबंधित समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2. उपशिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
रा0से0यो0 से संबंधित समस्त मण्डल, उ0प्र0।
3. क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,
योजना से संबंधित समस्त क्षेत्र / जोन, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग लखनऊ दिनाँक 10 दिसम्बर, 2010

विषय :राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर आयोजन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इकाईयों द्वारा रा0से0यो–सात दिवसीय (दिन–रात) शिविरों में निम्न बिन्दुओं के अनुसार विशेष शिविर का आयोजन किया जाय :–

1. विशेष शिविर आयोजन से पूर्व 03 एक दिवसीय शिविर चयनित ग्राम में आयोजित किये जायं। प्रथम एक दिवसीय शिविर में अभिगृहीत क्षेत्र का सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र पर कराया जाय। सर्वेक्षण में साक्षरता व स्वच्छता की स्थिति के साथ–साथ वृद्धों की समस्याओं, कूड़ा–प्रबन्धन, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, विकलांग / असहाय महिलाओं की समस्यायें, कुष्ठ रोग, सूखा रोग, गठिया, महिलाओं के चिकित्सा की व्यवस्था, स्वरोजगार की उपलब्धता आदि की जानकारी ली जाय। अन्य एक दिवसीय शिविरों में उक्त समस्याओं में से कतिपय समस्याओं का चयन कर जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाय।
2. विशेष शिविर आयोजन से पूर्व शिविर आयोजन की सूचना महाविद्यालय द्वारा 15 दिन पूर्व निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर 1. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, भारत सरकार, लखनऊ 2. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (रा0से0यो0कोष्ठक) विभाग को भेजा जाय। सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्यक्रम अधिकारी एवं महाविद्यालय प्राचार्य के मोबाईल नं0 तथा शिविर स्थल तक पहुँचने के मार्ग का स्पष्ट उल्लेख करते हुए भेजी जाय।
3. विशेष शिविर आयोजन से पूर्व प्रतिभागी स्वयंसेवकों को बैज, डायरी प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाय। स्वयंसेवक प्रत्येक कार्य दिवस में किये गये कार्यों का उल्लेख करें तथा कार्यक्रम अधिकारी उनके कार्य के सत्यापन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस पर हस्ताक्षर करें।
4. शिविर स्थल पर स्वयंसेवकों के उपस्थिति का रजिस्टर बनाकर रखा जाय तथा प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 8.00 बजे व रात्रि 09.00 बजे उनके दो बार हस्ताक्षर करायें जाय ताकि कार्यक्रम अधिकारी को स्वयंसेवकों की संख्या पर सन्देह न रहे।
5. विशेष शिविर के प्रोजेक्ट में प्रतिदिन दैनिक कार्यो में मध्यान्ह भोजन के बाद एक बौद्धिक गोष्ठी तथा सायं सत्र में भोजन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाय।
6. विशेष शिविर स्थल पर स्वयंसेवकों की टोली बनाकर भोजन व जलपान उन्हीं के द्वारा बनवाया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

बाजार से लन्च पैकेट, रेडीमेड खाद्य सामग्री का प्रयोग प्रतिबन्धित है।

7. राष्ट्रीय सेवा योजना की थीम प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसे विशेष शिविर के प्रोजेक्ट में रखा जाय।

8. विशेष शिविर के आयोजन हेतु तिथियों का निर्धारण वि0वि0/मण्डल/प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र स्तर से किया जाय। दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी माह में शिविर आयोजन हेतु छात्र संख्या के आधार पर कतिपय तिथियों का निर्धारण कर लिया जाय। प्रयास यह किया जाय कि एक जनपद में एक ही तिथि अन्तराल (Date Span) पर विशेष शिविरों का आयोजन हो। मार्च माह में शिविरों के आयोजन की अनुमति विशेष परिस्थिति में ही दी जाय।

9. भारत सरकार के मैनुवल में विशेष शिविर का आयोजन दिवसीय किये जाने का उल्लेख नहीं है। मात्र लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिवसीय शिविरों का आयोजन मान्य नहीं है। अत्यन्त विशिष्ट परिस्थिति में ही दिवसीय विशेष शिविरों की अनुमति शासन से पूर्व सहमति लेकर दी जाय।

10. विशेष शिविर आयोजन की सूचना भारत सरकार व राज्य सरकार का शिविर आयोजन से 15 दिन पूर्व दी गयी है, की पुष्टि होने पर विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल व प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र द्वारा विशेष शिविर आयोजन हेतु अनुदान चेक द्वारा जारी किया जाय।

11. ग्राम का चयन महाविद्यालय/कालेज के निकट (08 किमी की परिधि के अन्दर) किया जाय। अम्बेडकर ग्राम/मलिन बस्ती के चयन पर प्राथमिकता दी जाय। शिविर का उद्घाटन व समापन शिविर स्थल पर ही किया जाय। महिला स्वयंसेवकों की स्थिति में यदि शिविर स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा/आवासीय सुविधा न हो तो कार्यक्रम समन्वयक को अवगत कराते हुए महाविद्यालय में आवासीय व्यवस्था की जा सकती है। शिविर स्थल के रूप में दर्शनीय स्थल/पर्यटक स्थल का चयन मान्य नहीं होगा। स्वयंसेवकों को विशेष शिविर के दौरान किसी तीर्थस्थल व अन्य जगह भ्रमण पर ले जाना भी वर्जित है। महाविद्यालय से शिविर स्थल तक आने जाने पर धनराशि का व्यय मान्य नहीं है।

12. विशेष शिविर के आयोजन के पहले दिन स्वयंसेवक प्रत्येक दशा में प्रातः 10.00 बजे तक शिविर स्थल पर पहुंचे। शिविर समापन (सातवे दिन) अपराह्न 4.00 बजे कराया जाय। समापन के बाद स्वयंसेवकों को भोजन आदि कराते हुये शिविर स्थल से विदाई की जाय। रात्रि में यदि शिविर स्थल से घर जाने में असुविधा हो तो कार्यक्रम अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि रात्रि में स्वयंसेवकों को शिविर स्थल पर रोकते हुए प्रातः घर भेजा जाय।

13. शिविर में सर्वे के आधार पर विशिष्ट लोगों यथा–डाक्टर, चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य लाभ हेतु योगा, फीजियोथिरैपिस्ट, नगर निगम, नगरपालिका, पंचायत के लोगों को बुलाया जाय, सर्वे में प्राप्त विभिन्न कमियों को दूर करने हेतु मार्गदर्शन प्राप्त कराया जाय।

14. शिविर स्थल पर छात्र पंजीकरण की सूची, उपस्थिति पंजी के साथ–साथ अन्य अभिलेख भी रखे जाय, जिसे निरीक्षण के समय उपलब्ध कराया जाय।

15. शिविर स्थल पर शिविरार्थियों के रूकने की संतोषजनक व्यवस्था हो। दरी, गद्दे, कम्बल, रजाई की व्यवस्था स्वयंसेवक स्वयं करेंगे तथा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।

16. निरीक्षण अधिकारी को स्वयंसेवकों के रूकने हेतु सभी सामान व खाने की व्यवस्था उपलब्ध है, दिखाया जाय। निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण के दौरान उपस्थित स्वयंसेवकों से हस्ताक्षर कराकर सूची उपलब्ध कराना कार्यक्रम अधिकारी का उत्तरदायित्व है।

Scanned with OKEN Scanner

17. निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट को पूर्णरूप से भरा जायेगा, जिस पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाय।

18. सामान्य कार्यक्रम व विशेष शिविर का अनुदान अलग–अलग चेक द्वारा दिया जाय।

19. विशेष शिविर हेतु अनुदान सूचना प्राप्ति के पश्चात् एकमुश्त दिया जाय। विशेष शिविर का अनुदान दो किश्तों में दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

20. विशेष शिविर के आयोजन के बाद अंतिम एक दिवसीय शिविर का आयोजन कर पूर्व के समस्त कार्यक्रमों का मूल्यांकन कराया जाय तथा अवशेष रह गये कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास किया जाय।

कृपया उक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,
डा0 सत्येन्द्र बहादुर सिंह
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

संख्या–1175(1) / सत्तर–रा0से0यो0को–9 / 2010, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा0 कुलपति, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, योजना संबंधित समस्त विश्वविद्यालय / माध्यमिक शिक्षा मण्डल / प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, वाई0एस0– III, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय केन्द्र, हाल नं0–1, आठवाँ तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच0, अलीगंज लखनऊ को सूचनार्थ।

आज्ञा से,
डा0 सत्येन्द्र बहादुर सिंह
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

Scanned with OKEN Scanner